BYJU'S EXAM PREP

Study Notes

धारा 498A IPC क्या है?

What is 498A IPC Act

धारा 498A IPC क्या है? | What is 498A IPC Act

धारा 498ए, जिसे 1983 में संसद द्वारा पारित किया गया था, में कहा गया है कि "जो कोई भी, किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा'

- 1983 में, एक महिला को उसके पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिए आईपीसी की धारा 498-ए की पुष्टि की गई थी।
- धारा 498-ए एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसने इसे हथियारों के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रावधानों के बीच गर्व का एक संदिग्ध स्थान बना दिया है।
- प्रताड़ित करने का सबसे आसान तरीका है कि इस प्रावधान के तहत पति और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाए।कई मामलों में, दशकों से विदेश में रहने वाले पतियों, उनकी बहनों के दादा-दादी और दादा-दादी को गिरफ्तार किया जाता है।
- पति के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए सोसायटी दहेज विरोधी कानूनों के अंत में पुरुषों की मदद करती है।

भारतीय दंड संहिता आईपीसी) की धारा 498A से सम्बंधित तथ्य

भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और अपराधों के सम्बन्ध में निम्न तथ्य सामने आते हैं:

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों का सबसे बड़ा हिस्सा है।
- दहेज उत्पीड़न के मामलों में अक्सर एक पत्नी द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों का 30 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों के सभी मामलों में धारा 498ए के तहत मामलों में सबसे कम दोषसिद्धि दर – केवल 12.1 प्रतिशत – पाया गया गया है ।

IPC की धारा 498A की न्यायिक पहल | Judicial Initiative of Section 498A of IPC

IPC की धारा 498 -A अक्सर न्यायिक चर्चा का विषय रही है, जैसे:

- धारा 498A पिछले कुछ वर्षों से बहस का विषय रही है।
- 2015 में सरकार ने अपराध को कंपाउंडेबल बनाने का भी प्रयास किया। इससे शिकायतकर्ता आरोपी के साथ समझौता कर सकते थे और आरोप वापस लेने के लिए सहमत हो जाते थे ।
- दहेज कानून को कंपाउंडेबल बनाना भी लॉ कमीशन और जस्टिस मलीमथ कमेटी की सिफारिशों में से एक था ।
  सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों ने वर्षों से धारा 498ए को दुरुपयोग की संभावना के रूप में कहा है ।

- 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियारों के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रावधानों के बीच यह "गर्व का एक संदिग्ध स्थान" था।

आईपीसी की धारा 498A में सजा (Punishment)

यह धारा 498A (Dhara 498A) के तहत एक दंडनीय अपराध है अगर क्रूरता पति या पति के रिश्तेदार द्वारा की जाती है, भले ही महिला की शादी के 7 साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। इस अपराध के लिए अधिकतम कारावास 3 वर्ष है। पुलिस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-बी के तहत मामला दर्ज कर सकती है यदि महिला पक्ष के व्यक्ति पर धारा 498, 'ए' के तहत अपराध करने का आरोप है। इसमें महिला पक्ष की कोई भी महिला शामिल है जिस पर संज्ञेय अपराध का आरोप है।

IPC की धारा 498A का दुरुपयोग कैसे हो रहा है?

निम्न अपराधों के आधार पर IPC की धारा 498 -A के दुरूपयोग को समझ सकते हैं:

पति और रिश्तेदारों के खिलाफ

- जैसे-जैसे शिक्षा, वित्तीय सुरक्षा और आधुनिकीकरण की दर बढ़ी है, अधिक स्वतंत्र और कट्टरपंथी नारीवादियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए को ढाल के बजाय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। नतीजतन, कई असहाय पति और उनके रिश्तेदार अपने घर की प्रतिशोधी बहुओं का शिकार हुए हैं।

ब्लैकमेल का प्रयास

- कई मामले जहां धारा 498ए इन दिनों लागू होती है, झूठे मामले बन जाते हैं क्योंकि वे पत्नी (या उसके करीबी रिश्तेदारों) द्वारा तनावग्रस्त विवाह से परेशान होने पर केवल ब्लैकमेल करने के प्रयास होते हैं। नतीजतन, ज्यादातर परिस्थितियों में, धारा 498 ए शिकायत के बाद अदालत के बाहर मामले को निपटाने के लिए भारी मात्रा में धन की मांग की जाती है।

विवाह में गिरावट

- अदालत ने विशेष रूप से कहा कि प्रावधानों का इस हद तक दुरुपयोग और शोषण किया जा रहा है कि यह विवाह की नींव पर ही चोट कर रहा है।
- यह अंततः समाज और बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य के लिए एक अपशकुन साबित हुआ है।
- महिलाओं ने आईपीसी की धारा 498 को प्रतिशोध के लिए या विवाह से बाहर निकलने के लिए एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है।
- 2003 में आपराधिक न्याय सुधारों पर मलीमठ समिति की रिपोर्ट ने इसी तरह के विचार व्यक्त किए।

- समिति ने कहा कि आईपीसी की धारा 498ए की "सामान्य शिकायत" का घोर दुरुपयोग किया गया है।

अंततः घरेलू हिंसा और पति या पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार बहुत जटिल व्यवहार हैं, और अदालतों, कानूनी संस्कृतियों और पुलिस के सामाजिक संगठन ने कई घरेलू हिंसा के मामलों को व्यवस्थित रूप से अवमूल्यन किया है। नतीजतन, राज्य और लोगों के दृष्टिकोण को घरेलू हिंसा कानूनों के संभावित "दुरुपयोग" से बदलकर उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य के लिए लागू करने की आवश्यकता है।

BYJU'S EXAM PREP हमारे UPPCS काउंसलर के साथ PERSONAL मार्गदर्शन SESSION प्राप्त करें 9650052904

BYJU'S EXAM PREP

14 Selections in Top 10

98 Selections in the Final List

UPPSC PCS 2022

शानदार सफलता

Rank 5 | Sonia Gupta
Senior Lecturer
DIET

Rank 6 | Ankur yadav
Distt. Suppl Officer
Grade-II

Rank 11 | Vibhor Gupta
Block
Development Officer

Rank 19 | Pallavi Sachan
Block
Development Officer

BYJU'S EXAM PREP

UPPSC PCS 2021

में शानदार रिज़ल्ट्स

12 DEPUTY COLLECTORS

62 STUDENTS SELECTED

7 DEPUTY SUPDT. OF POLICE

Maseeha Najam
(Deputy Collector)

Poorva
(Deputy Collector)

Chitra Nirwal
(Deputy Collector)

Nishant Upadhyay
(Deputy Collector)